

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/प्रशा/स्था/2024/8115
//सूचना//

दिनांक 01/04/2024

लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता प्रभावशील होने के फलस्वरूप समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/अध्ययनशालायें तथा समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि, वह किसी भी प्रकार का अवकाश या मुख्यालय छोड़ने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी की स्वीकृति लिया जाना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात् ही आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें। साथ ही जो शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश पर हैं, उनके अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

अतः ऐसे शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश पर हैं। तत्काल कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करायें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/अध्ययनशालायें तथा समस्त अधिकारी/कर्मचारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलपति जी के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय।


सहा0-कुलसचिव (प्रशा0)